

राजस्थान - सरकार

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 39/बून्दी/2006-07

यह प्रमाणित किया जाता है कि महाकवि सूर्यमल्ल पूर्व षण्णत्र

परिषद् राजकीय महाविद्यालय समिति बून्दी

जिला बून्दी का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 (राजस्थान

अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।



यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षर और कार्यालय की सील से आज
दिनांक 17 माह जनवरी सन् 2007

को बून्दी में दिया गया।

[Signature]
17/1/07
रजिस्ट्रार
संस्थान बून्दी जिला, बून्दी
संस्थान, बून्दी जिला बून्दी
(राज.)